

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(मु.), डीडवाना-कुचामन

क्रमांक:-कोर्ट/रीडर/24/ 171

दिनांक:- 23-02-2024

प्रेषित-


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
नागौर

विषय: परिवाद संख्या 57/2022 अनुवान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा  
अधिकारी नागौर बनाम मोहम्मद असलम में निर्णय दिनांक 19.02.2024  
की अनुपालना वावत।

उपरोक्त विषयक प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2024 की प्रमाणित प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ सलग्न प्रेषित है। अभियुक्त को आदेश की प्रति भेज कर फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड रूल्स 2006 की धारा 27 की उपधारा 3 (क)का उल्लंघन कर अपराध कार्य करने एवं अपराध कार्य करने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 58 के प्रावधान अनुसार अभियुक्त मोहम्मद असलम पुत्र असगर अली, फर्म-मैसर्स मोहम्मद असलम पुत्र असगर अली, रेलवे फाटक के सामने, लाडनूं से आरोपित राशि 10,000/-रूपये अक्षरे दस हजार रूपये राशि वसूल कर निम्न वजट हैड में जमा करवाया जाकर चालान की प्रति इस न्यायालय को भिजवाई जावे तथा संबंधित अभियुक्त को राशि जमा होने के पश्चात चालान की फोटो प्रति भिजवाते हुए सूचित किया जावे।

0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
04	लोक स्वास्थ्य
800	अन्य प्राप्तियां
(3)	खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि।
Q NO. 1725	

सलग्न:- उपरोक्तानुसार निर्णय की प्रति एक

  
(श्योराम वर्मा)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(मु.)  
डीडवाना-कुचामन

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णायक अधिकारी, डीडवाना- कुचामन  
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम वर्मा, आरएएस

प्रकरण संख्या:- 57/2022

आवेदक:-

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  
स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

अभियुक्त :-

1. श्री मोहम्मद असलम पुत्र असगर अली (विक्रेता एवं मालिक)  
मैसर्स- मोहम्मद असलम(फेरीवाला), रेलवे फाटक के सामने, लाडनूं  
निवास- गली न: 24, तेली रोड, लाडनूं  
'अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 27 की  
उपधारा 3 (क) व दंडनीय धारा 58'


उपस्थिति :-

1. अभियुक्त श्री मोहम्मद असलम पुत्र असगर अली
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर।

-निर्णय-

दिनांक :- 19.02.2024

1. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं, आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.01.2022 को श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर श्रीमान् थानाधिकारी लाडनूं के द्वारा साँयकाल मुझे मोवाईल पर दिये गये निर्देशों की पालना में थानाधिकारी मय पुलिस बल के साथ मैसर्स मोहम्मद असलम (फेरीवाला) रेल्वे फाटक के सामने, लाडनूं साँयकाल 06:10 पी.एम.पर पहुंचे। जहां पर टॉफी, नमकीन आमजन को विक्रय हेतु रखें हुए थे। जहां पर एक व्यक्ति उपस्थित था, को अपना परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं परिचय लिया। पूछने पर उक्त व्यक्ति ने स्वय का नाम मोहम्मद असलम पुत्र असगर अली उम्र 25 जाति मुसलमान स्थायी निवासी गली नं. 24 तेली रोड लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर तथा हॉल मुकाम रेल्वे फाटक के सामने, लाडनूं तह.लाडनूं जिला नागौर का होना बताया। मोहम्मद असलम से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं का होना बताया तथा वास्ते निरीक्षणार्थ फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र/ रजिस्ट्रेशन मांगा गया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जो कि न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न है।

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना-कुचामन

2. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में संस्थान/घर का निरीक्षण किया जहां पर नमकीन (**Yellow Diamond**) **soya stick** की 40-40 ग्राम वाले 200 पाउच सीलड अवस्था में आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए थे, जिन पर फार्म नं.-5 ए पर दर्शाए अनुसार जानकारी अंकित थी, मुझे इनमें मिसत्राण्ड, सवस्टैण्डर्ड व अनरोफ का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को फार्म नं.-5 ए में दी एवं रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा साथ ही उक्त खाद्य सामग्री अवधि पार भी थी, फार्म V-A की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है, प्रपत्र 5 ए देने से पूर्व विक्रेता (मालिक) को गवाहन की उपस्थिति में बता दिया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएसएस एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हूँ। मौके पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ को अन्य फर्म से खरीदने का विल नहीं होना जाहिर किया।
3. यह हैं की खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहों एवं विक्रेता (मालिक) की उपस्थिति में उक्त कार्टून में से (52 पाउच x प्रत्येक में 40 ग्राम=2080 ग्राम ) नमकीन (**Yellow Diamond**) **soya stick** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को उनके बताये अनुसार 520/-रु (अक्षरे पांच सौ बीस रूपये) मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर गवाहान, विक्रेता (मालिक) एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर हैं, रसीद की मूल प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित गवाहान व विक्रेता को चार चौड़े मूंह के साफ-सुखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बे दिखाकर उक्त खरीदशुदा (**Yellow Diamond**) **soya stick** के 52 पाउचो को चार बराबर बराबर भागों(13-13 नगों को अलग अलग धागों में बांधकर चार भाग बनाये) में बांटकर चारों प्लास्टिक डिब्बों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा तथा प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया। फिर इन चारों नमूना डिब्बों के लिए, विक्रेता (मालिक) एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेवल तैयार किये गये, जिस पर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड व सीरियल नम्बर Q-1725 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेवल पर विक्रेता (मालिक) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक स्वयं ने किये। उक्त तैयार लेवल में से एक-एक लेवल प्रत्येक नमूनों पर गोंद से चिपकाया व एक अन्य लेवल तैयार कर उस पर गवाह, विक्रेता (मालिक) के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक स्वयं ने भी किये,

जो लेवल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रत्येक नमूनों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूनों पर श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डा. मेहराम महिया की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक Q-1725 गोंद से उपर से लेकर नीचे तक गोलाई में चिपकाकर मजबूत धागे से बाँधकर, चार-चार जगह चपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलबंद व सील मुहर किया। चारों नमूनों पर श्रीमान डीओं के कोड व सीरीयल Q-1725 अंकित कर विवरण लिखा। जिम पर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता एवं गवाहन में हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबन्द नमूनों को अपने जाय्तों में लिया।

5. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता (मालिक) एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना Q-1723 सील बन्द किया था उसका निशान मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट पर अंकित किया उपरोक्त सभी कार्यवाही मैंने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
6. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूनों को सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सीलबंद सील मोहर कर माणकचन्द गहलोत वार्ड वॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस में देकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द वार्ड वॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस देकर फार्म नं. 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सीलबन्द (द्वितीय एवं तृतीय भाग) नमूना मय फार्म. नं. 6 की दो प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस को मैंने स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष नमूने का चौथा

- भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमुहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 82 दिनांक 15.02.2022 के द्वारा संलग्न जाँच रिपोर्ट संख्या LS/202/Act/2022/135 दिनांक 03.02.2022 के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया (**Yellow Diamond**) **soya stick** का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत मिसत्राण्डेड व "This Sample is not fully marketable as it sold after date of best before" होना पाया गया है। मुझे उक्त नमूने की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया तथा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर ने खाद्य विश्लेषक अजमेर की जाँच रिपोर्ट की एक प्रति मैसर्स मोहम्मद असलम लाडनू को अधिनियम की धारा 46 (4) के तहत अपील करने की सूचना रजिस्टर्ड डाक से पत्रांक 83 दिनांक 15.02.2022 को प्रेषित किया। अग्रेपण पत्र मय रजिस्ट्री की रसीद व जाँच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत कर अभियोजन संस्थित करने हेतु अधिकृत किया है। जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन है।
9. इस प्रकरण में श्री मोहम्मद असलम ने खाद्य सामग्री (**Yellow Diamond**) **soya stick** को, अवसान की तारीख के पश्चात विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियम एवं विनियम 2011 की धारा 27 की उपधारा 3 (क) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।
10. प्रकरण में अभियुक्त द्वारा लम्बे समय तक जवाब नहीं दिए जाने से दिनांक 14.02.24 को अभियुक्त का जवाब बंद कर दिया गया, तत्पश्चात दिनांक 19.02.24 को अधिवक्ता अभियुक्त व खाद्य सुरक्षा अधिकारी को सुना गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों में यह व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त ने सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 की धारा 27 की उपधारा 3 (क)का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

11. प्रकरण में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.01.2022 को श्रीमान् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर व श्रीमान् थानाधिकारी लाडनूं के द्वारा सांयकाल मुझे मोबाईल पर दिये गये निर्देशों की पालना में थानाधिकारी मय पुलिस बल के साथ मैमर्स मोहम्मद असलम (फेरीवाला) रेल्वे फाटक के सामने, लाडनूं सांयकाल 06:10 पी.एम.पर पहुंचे। जहां पर टॉफी, नमकीन आमजन को विक्रय हेतु रखें हुए थे। जहां पर एक व्यक्ति उपस्थित था, को अपना परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं परिचय लिया। पूछने पर उक्त व्यक्ति ने स्वयं का नाम मोहम्मद असलम पुत्र असगर अली उम्र 25 जाति मुसलमान स्थायी निवासी गली नं. 24 तेली रोड लाडनूं तहसील लाडनूं जिला नागौर तथा हॉल मुकाम रेल्वे फाटक के सामने, लाडनूं तह.लाडनूं जिला नागौर का होना बताया। मोहम्मद असलम से पूछने पर उक्त संस्थान का मालिक स्वयं का होना बताया तथा वास्ते निरीक्षणार्थ फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा गया जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जो कि आवेदक ने न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न किया।
12. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में संस्थान/घर का निरीक्षण किया जहां पर नमकीन (Yellow Diamond) soya stick की 40-40 ग्राम वाले 200 पाउच सील्ड अवस्था में आम जन को विक्रय हेतु रखे हुए थे, जिन पर फार्म नं.-5 ए पर दर्शाए अनुसार जानकारी अंकित थी, मुझे इनमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्डर्ड व अनसेफ का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना विक्रेता को फार्म नं.-5 ए में दी एवं रसीद प्राप्त की, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा साथ ही उक्त खाद्य सामग्री अवधि पार भी थी, फार्म V-A की मूल प्रति जो कि आवेदक ने न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्न किया, प्रपत्र 5 ए देने से पूर्व विक्रेता (मालिक) को गवाहन की उपस्थिति में बता दिया था कि उक्त नमूना वास्ते एफएसएस एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हूँ। मौके पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ को अन्य फर्म से खरीदने का बिल नहीं होना जाहिर किया।
13. यह हैं की खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर गवाहों एवं विक्रेता (मालिक) की उपस्थिति में उक्त कार्टून में से (52 पाउच x प्रत्येक में 40 ग्राम=2080 ग्राम ) नमकीन (Yellow Diamond) soya stick वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा


जिसकी कीमत विक्रेता को उनके बताये अनुसार 520/-रु (अक्षरे पांच सौ बीस रूपये) मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर गवाहान, विक्रेता (मालिक) एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है, रसीद की मूल प्रति जो कि आवेदक ने न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्र की गयी।

14. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपस्थित गवाहान व विक्रेता को चार चौड़े मूंह के साफ-सुखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बे दिखाकर उक्त खरीदशुदा (Yellow Diamond) soya stick के 52 पाउचो को चार बराबर बराबर भागों(13-13 नगों को अलग अलग धागों में बांधकर चार भाग बनाये) में बांटकर चारों प्लास्टिक डिब्बों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा तथा प्रत्येक डिब्बे को एयर टाइट बंद किया। फिर इन चारों नमूना डिब्बों के लिए, विक्रेता (मालिक) एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड व सीरियल नम्बर Q-1725 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता (मालिक) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक स्वयं ने किये। उक्त तैयार लेबल में से एक-एक लेबल प्रत्येक नमूनों पर गोंद से चिपकाया व एक अन्य लेबल तैयार कर उस पर गवाह, विक्रेता (मालिक) के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक स्वयं ने भी किये, जो लेबल न्याय निर्णायन आवेदन के साथ सलंग्र है। प्रत्येक नमूनों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूनों पर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर डा. मेहराम महिया की हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमांक Q-1725 गोंद से उपर से लेकर नीचे तक गोलाई में चिपकाकर मजबूत धागे से बाँधकर, चार-चार जगह चपड़ी लगाकर नियमानुसार सीलबंद व सील मुहर किया। चारों नमूनों पर श्रीमान डीओ के कोड व सीरीयल Q-1725 अंकित कर विवरण लिखा। जिस पर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। विक्रेता एवं गवाहान में हस्ताक्षर नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को क्रोस करते हुए हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारों सीलबन्द नमूनों को अपने जाब्तों में लिया।
15. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता (मालिक) एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढकर, सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना Q-1723 सील बन्द किया था उसका निशान मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट पर अंकित किया उपरोक्त सभी कार्यवाही मैंने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही

की। मौका फर्द रिपोर्ट असल प्रति जो कि आवेदक ने न्याय निर्णायन आवेदन के साथ संलग्न की है।

16. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 लि प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई जिससे नमूनों को सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सीलबंद सील मोहर कर माणकचन्द गहलोत वार्ड वॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस में देकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, माणकचन्द वार्ड वॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा खाद्य विश्लेषक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस देकर फार्म न० 6 की अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो सीलबन्द (द्वितीय एवं तृतीय भाग) नमूना मय फार्म. नं. 6 की दो प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर श्रीमान डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस को मैने स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की एक प्रति को आउटर कवर में सीलबंद सीलमुहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि आवेदक ने न्याय निर्णायन आवेदन के साथ संलग्न किया।

17. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को श्रीमान डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 82 दिनांक 15.02.2022 के द्वारा संलग्न जाँच रिपोर्ट संख्या LS/202/Act/2022/135 दिनांक 03.02.2022 से मालूम हुआ कि लिया गया (Yellow Diamond) soya stick का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 के तहत मिसत्राण्डेड व "This Sample is not fully marketable as it sold after date of best before" होता पाया गया।

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना-कुचामन

18. धारा 26- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-

(2) कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है।

(2) कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-

(V) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा 27- विनिर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं का दायित्व।


(3) विक्रेता इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी हो, जो-

(क) उसके अवसान की तारीख के पश्चात विक्रीत किया जाता है।

धारा 58-अवमानक खाद्य के लिए शास्ति:-

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का जो दो लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्रांक-82 दिनांक 15.02.2022 के साथ सलग्र जाँच रिपोर्ट संख्या LS/202/Act/2022/135 दिनांक 03.02.2022 से खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर को मालूम हुआ कि उनके द्वारा लिया गया (Yellow Diamond) soya stick का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवसान की तारीख के पश्चात खाद्य सामग्री विक्रय की श्रेणी में आता है। उक्त मोहम्मद असलमको जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। जाँच रिपोर्ट LS/202/Act/2022/135 दिनांक 03.02.2022 से स्पष्ट है की इनके द्वारा विक्रीत (Yellow Diamond) soya stick का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवसान की तारीख के पश्चात खाद्य सामग्री विक्रय की श्रेणी में आता है। इस प्रकरण में अभियुक्त ने अवसान की तारीख के पश्चात (Yellow Diamond) soya stick का विक्रय करके FSSA 2006 की धारा 3(1)(ZF)(A)(i)(a) of food safety and standards Act 2011 के उल्लंघन के साथ "This Sample is not fully marketable as it sold after date of

  
अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना-कुचामन

**best before"** धारा 27 की उपधारा 3 (क) का उल्लंघन किया है जिसका  
जुर्माना FSSA 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

इस प्रकार सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म- मैसर्स मोहम्मद असलम  
(फेरीवाला), रेलवे फाटक के सामने, लाडनूं दोपी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-  
(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर  
दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं  
मानक अधिनियम 2011 की धारा 58 के तहत अभियुक्त श्री मोहम्मद असलम पुत्र  
श्री असगर अली, निवासी- गली नम्बर 24, तेली रोड, फर्म- मैसर्स मोहम्मद असलम  
(फेरीवाला), रेलवे फाटक के सामने, लाडनूं पर राशि रूपये 10000/- (अक्षरे रूपये  
दस हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य  
सुरक्षा अधिकारी एवं नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि  
वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी  
चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर  
पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में  
शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत  
वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे। फैसला सरे इजलास न्यायालय सुनाया  
गया।



(शयोराम/वर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन  
वाक्यात् न्यायानणयन आवेदन निम्न प्रकार है।